राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 596/2014

रमेश कुमार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
2. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.08.2014
आदेश की दिनांक : 14.05.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की चयन प्रक्रिया उपरांत सहायक रेडियोग्राफर के पद पर फरवरी 1999 में नियुक्ति हुई थी। जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 09.02.1999 को कार्यभार ग्रहण कर लिया। अपीलार्थी रेडियोग्राफर की योग्यता रखता है। राज्य सरकार के चयनित वेतनमान नियमों के अनुसार किसी राज्य कर्मचारी को 9 वर्ष तक पदोन्नति नहीं भी मिलती है तो नियमानुसार 9 वर्षीय चयनित वेतनमान स्वीकृत कर उच्च पद का लाभ प्रदान किया जाता है। अपीलार्थी के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात तीसरी संतान होने पर अपीलार्थी को नियमानुसार 9 वर्षीय चयनित वेतनमान दिनांक 09.02.2008 को देय होने के कारण राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अपीलार्थी के चयनित वेतनमान को 5 वर्ष आगे खिसकाकर दिनांक 09.02.2008 के स्थान पर दिनांक दिनांक 09.02.20213 से प्रथम चयनित वेतनमान/एसीपी स्वीकृत की गई और अपीलार्थी का फिक्सेशन 5200–20200 ग्रेड–पे 2800/– में किया गया (अनुलग्नक–1)। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के अनुसार राजकीय सेवा में नियमित पदोन्नति और अस्थाई पदोन्नति के संबंध में पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों के अतिक्रमण में जारी किए गए है। उक्त परिपत्र के नियम संख्या 10.4 में यह प्रावधान है कि जिस राज्य सेवक के दिनांक 01.06.2002 को और उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हैं, ऐसे राजसेवक की पदोन्नति जिस तारीख से देय होती है उससे पाँच विभागीय पदोन्नति समिति वर्षों तक उसकी पात्रता पर विचार नहीं किया जावेगा। उक्त परिपत्र के नियम सं0–10.5 में भी यह प्रावधन है कि ऐसे किसी व्यक्ति की पदोन्नति पर उस तारीख से जिसकी उसकी पदोन्नति

देय हो जाती है, पाँच भर्ती वर्ष तक विचार नहीं किया जायेगा, यदि उसके 01 जून, 2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों। उक्त परिपत्र के आधार पर ही अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग ने नौ वर्षीय ए०सी०पी० का लाभ दिनाँक 09.02.2008 के स्थान पर पाँच वर्ष पश्चात् दिनाँक 09.02.2013 से स्वीकृत किया गया है, जो नियमानुसार उचित था। प्रत्यर्थी विभाग ने आलौच्य आदेश दिनांक 20.06.2014 द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र और नियमों के विपरीत जाकर बिना किसी कारण के नियमों की गलत व्याख्या करते हुए अपीलार्थी को प्रथम एसीपी का लाभ आदेश दिनांक 05.03.2014 द्वारा दिनांक 09.02.2013 से स्वीकृत किया गया था, को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि उक्त लाभ वित्त विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2009 के बिन्दु संख्या 8(iii) के अनुसार दिनांक 01.06.2002 के पश्चात संतान की संख्या 2 से अधिक होने पर एसीपी देय नहीं है (अनुलग्नक–2)। प्रत्यर्थी विभाग ने वित्त विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2009 के बिन्दु संख्या 8 (iii) के अनुसरण में अपीलार्थी की स्वीकृत एसीपी को निरस्त किया गया है, जबकि उक्त प्रावधान में केवल मात्र यह अंकित है कि नियुक्ति अधिकारी राजकीय कर्मचारी से एसीपी का लाभ देने से पूर्व यह शपथ पत्र प्राप्त करेगा कि उसके दिनाँक 01.06.2002 से पूर्व दो ही बच्चे हैं, परन्तु किसी भी राजकीय कर्मचारी को दो से अधिक संतानें होने पर डिसक्वालीफाई नहीं करेगा। उक्त प्रावधानों में यह कहीं भी अंकित नहीं है कि राजकीय कर्मचारी को दिनाँक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान उत्पन्न होने पर प्रथम ए०सी०पी० का लाभ नहीं दिया जायेगा। प्रत्यर्थी विभाग ने उक्त नियमों का मनमाने ढंग से व्याख्या करते हुये आलोच्य आदेश पारित किया है, जो विधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनाँक 04.06.2008 के अनुसार पदोन्नति में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी राजकीय कर्मचारी के दिनाँक 01.06.2002 के बाद में अगर तीसरी संतान उत्पन्न होती है, तो उसको केवल मात्र पाँच वर्षो तक पदोन्नति पर विचार नहीं किया जायेगा। उक्त परिपत्र के नियम सं0–10.4 व 10.5 में उक्त प्रावधान अंकित है। जब राज्य सरकार द्वारा राजकीय कर्मचारी को चयनित वेतनमान/ए०सी०पी० का लाभ कर्मचारी की नौ वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पदोन्नति नहीं होने पर ही लाभ दिया जाता है, उक्त परिपत्र में यह प्रावधान है कि राजकीय कर्मचारी के दिनाँक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान उत्पन्न होने पर उक्त कर्मचारी को पदोन्नति वर्ष के पश्चात् पाँच वर्षों तक पदोन्नति पर विचार नहीं किया जायेगा। कर्मचारी की पदोन्नति नहीं होने की एवज में ही राज्य सरकार द्वारा चयनित वेतनमानध्ए०सी०पी० का लाभ दिया जाता है, उक्त प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थी को तीसरी संतान दिनाँक 01.06.2002 के पश्चात् उत्पन्न होने के कारण तथा अपीलार्थी की पदोन्नति नहीं होने के

कारण अपीलार्थी को चयनित वेतनमानध्ए०सी०पी० का लाभ दिनाँक 09.02.2008 के स्थान पर पाँच वर्ष पश्चात् दिनाँक 09.02.2013 से प्रथम ए०सी०पी० राजकीय कर्मचारी से ए०सी०पी० का लाभ देने से पूर्व यह शपथ पत्र प्राप्त करेगा कि उसके दिनाँक 01.06.2002 से पूर्व दो ही बच्चे हैं, परन्तु किसी भी राजकीय कर्मचारी को दो से अधिक संतानें होने पर डिसक्वालीफाई नहीं करेगा। उक्त प्रावधानों में यह कहीं भी अंकित नहीं है कि राजकीय कर्मचारी को दिनाँक 01.06. 2002 के पश्चात् तीसरी संतान उत्पन्न होने पर प्रथम ए०सी०पी० का लाभ नहीं दिया जायेगा। प्रत्यर्थी विभाग ने उक्त नियमों का मनमाने ढंग से व्याख्या करते हुये आलोच्य आदेश पारित किया है, जो विधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनाँक 04.06.2008 के अनुसार पदोन्नति में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी राजकीय कर्मचारी के दिनाँक 01.06.2002 के बाद में अगर तीसरी संतान उत्पन्न होती है, तो उसको केवल मात्र पाँच वर्षो तक पदोन्नति पर विचार नहीं किया जायेगा। उक्त परिपत्र के नियम सं0—10.4 व 10.5 में उक्त प्रावधान अंकित है। जब राज्य सरकार द्वारा राजकीय कर्मचारी को चयनित वेतनमान/ए०सी०पी० का लाभ कर्मचारी की नौ वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पदोन्नति नहीं होने पर ही लाभ दिया जाता है, उक्त परिपत्र में यह प्रावधान है कि राजकीय कर्मचारी के दिनाँक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान उत्पन्न होने पर उक्त कर्मचारी को पदोन्नति वर्ष के पश्चात् पाँच वर्षों तक पदोन्नति पर विचार नहीं किया जायेगा। कर्मचारी की पदोन्नति नहीं होने की एवज में ही राज्य सरकार द्वारा चयनित वेतनमानध्ए०सी०पी० का लाभ दिया जाता है, उक्त प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थी को तीसरी संतान दिनाँक 01.06.2002 के पश्चात् उत्पन्न होने के कारण तथा अपीलार्थी की पदोन्नति नहीं होने के कारण अपीलार्थी को चयनित वेतनमानध्ए०सी०पी० का लाभ दिनाँक 09.02.2008 के स्थान पर पाँच वर्ष पश्चात् दिनाँक 09.02.2013 से प्रथम ए०सी०पी० स्वीकृत की गई थी, उक्त ए०सी०पी० को आलोच्य आदेश द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र दिनाँक 04.06. 2008 के विपरीत जाकर अपीलार्थी की ए०सी०पी० को निरस्त किया गया है, जो राज्य सरकार के परिपत्र के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को प्रथम ए०सी०पी० का लाभ नियमानुसार नियमों के प्रावधानों के अनुसार ही आदेश दिनाँक 05.03.2014 द्वारा दिया गया था तथा प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये तथा अपीलार्थी को बिना किसी नोटिस के आलोच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी की प्रथम ए०सी०पी० के लाभ को निरस्त कर दिया गया, जो अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर देने के कारण भी आलोच्य आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.06.2014 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा स्वीकृत प्रथम 09 वर्षीय एसीपी के लाभ को दिनांक 09.02.2016 से यथावत रखे जाने का अनुतोष चाहा गया है।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वित्त विभाग की अधिसूचना को चुनौती दी गई है, जो अधिकरण के अधिनियम की धारा 2 एफ के विपरीत है। अधिकरण के समक्ष राज्य सरकार के नियमों को चुनौती नहीं दी जा सकती है। अपीलार्थी का विवाद 9 साल पर देय एसीपी 2008 में उत्पन्न हो गया था। परन्तु अधिकरण के समक्ष अपील अत्यन्नत विलम्ब से पेश किए जाने के कारण विलम्ब के आधार पर अपील खारिज किए जाने योग्य है। साथ ही निवेदन किया कि अपीलार्थी को दिनांक 09.02.2008 को 09 वर्षीय चयनित वेतनमान देय था परन्तु अपीलार्थी के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात तीसरी संतान उत्पन्न होने के कारण इन्हें 09 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ 05 वर्ष बाद इन्हें दिनांक 05.03.2014 को 09 वर्षीय एसीपी देय नहीं होने के उपरान्त सहवन से स्वीकृति जारी हो गई थी, जिसे वित्त विभाग के ज्ञापन दिनांक 31.12. 2009 के नियम बिन्दु संख्या 8 (iii) के अनुसरण में आदेश दिनांक 20.06.2014 द्वारा पूर्व में जारी स्वीकृति को निरस्त किया गया है, जो नियमानुसार है इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किए जाने योग्य है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने राजकीय सेवा में दिनांक 09.02.1999 को कार्यभार ग्रहण किया और इस आधार पर दिनांक 09.02.2008 को उसके 9 वर्ष पूर्ण होते है, उस समय चयनित वेतनमान के संबंध में वित्त विभाग का आदेश दिनांक 25.01.1992 प्रभावित है, जिसमें दिनांक 01 जून, 2002 के पश्चात किसी कर्मचारी के दो से अधिक संतान होने की दशा में चयनित वेतनमान नहीं दिए जाने या निश्चित समयावधि के संबंधी कोई प्रावधान नहीं है। कार्मिक विभाग द्वारा पदोन्नति के संबंध में जारी परिपत्र दिनांक 04.06.2008 में अवश्य यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी कर्मचारी को 01 जून 2002 के पश्चात उसके तीसरी संतान होती है तो पांच भर्ती वर्षों तक उसकी पदोन्नति पद विचार नहीं किया जाएगा और यह संभवतः इसी के दृष्टिगत प्रत्यर्थी विभाग में अपीलार्थी को 01 जून 2002 के पश्चात तीसरी संतान होने के कारण उसका चयनित वेतनमान 05 वर्ष आगे खिसकाकर दिनांक 09.02.2013 से स्वीकृत किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग का यह कथन है कि वित्त विभाग के ज्ञापन दिनांक 31.12.2009 के अनुसार राजकीय कर्मचारी के 01 जून 2002 के पश्चात तीसरी संतान होने के कारण ज्ञापन संख्या

8 (iii) के अनुसार एसीपी देय नहीं है। हम यह मानते है कि दिनांक 31.12.2009 के आदेश को लागू नहीं किया जा सकता जिस दिन अपीलार्थी को 9 वर्ष का चयनित वेतनमान देय होता है, उस तिथि को वित्त विभाग के आदेश दिनांक 25.01.1992 प्रभावित था। लिहाजा हमारे मत में कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र के दृष्टिगत प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान 5 वर्ष आगे बढाकर स्वीकृत किए जाना नियमानुसार था। इस आधार पर अपील स्वीकार की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य